न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 6/2022

उनवान

1. भवानी सिंह
2. रूप सिंह पुत्रगण कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद

——— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र चतुर्भुज जाति जाट
2. बच्छराज पुत्र शुभकरण जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद
3. मैनेजर स्टेट बैंक आफॅ इंडिया शाखा तिहारी, नसीराबाद
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद।

—— अप्रार्थीगण :– 1. जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत
2 जरियें अधिवक्ता श्री रणजीत रावत
3 अनुपस्थित, 4. जरियें राज0 पैरोकार

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :–24.6.22

प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व पटवार मण्डल तिहारी के खसरा नम्बर 596 रकबा 0.13, 597 रकबा 0.01, 598 रकबा 0.02, 599 रकबा 0.04, 639 रकबा 0.01 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 4271/0.45, 546/6554 रकबा 1.34, 641 रकबा 0.25 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व 640/0.15 अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी में से होते हुये अपने खातेदारी खेतों में प्रवेश करते है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख व मौके पर कोई रास्ता विधमान नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम तिहारी में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 596 रकबा 0.13, 597 रकबा 0.01, 598 रकबा 0.02, 599 रकबा 0.04, 639 रकबा 0.01 पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर खसरा नम्बर 4271/0.45, 546/6554 रकबा 1.34, 641 रकबा 0.25 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व 640/0.15 अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी मे से प्रार्थीगण को 20 फिट चौड़ा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:39:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

जावे। उक्त अनुसार आदेश जारी कर तहसीलदार नसीराबाद को राजस्व रेकार्ड व मानचित्र में रास्ता दर्ज करने के भी आदेश पारित करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 से मिलकर आपराधिक षडयंत्र कारित करते हुये यह प्रार्थना पत्र पेश किया है अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 28.12.2021 को एक परिवाद अन्तर्गत धारा 427, 447 448 भा.द.स. अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्व पेश किया था जिसमे अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 546/6554 की उत्तरी दिशा में खेतो में पत्थर डालने व व्यवधान कारित करने का संस्थित करवाया था जिस पर पुलिस थाना श्रीनगर ने यह अवरोध हटाकर अप्रार्थी संख्या 1 के खेतों को विमुक्त कराया था, उक्त प्रार्थना पत्र से नाराज होकर अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी भवानी सिंह से मिलकर एक षडयंत्र रचा है तथा जवाबकर्ता के खेतों पर कब्जा करने के आशय से प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग अत्यधिक दीर्घ है। भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा इस मार्ग को आमजन की सुविधा का बता दिया है। रिपोर्ट में रास्ता नम्बर 1 प्रार्थी को दिये जाने बाबत कोई औचित्य प्रकट नही किया है। तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट में 3 रास्ते बताये गये है। रास्ता नम्बर 2 सबसे छोटा व सहज तथा आसान है। इसी प्रकार रास्ता नम्बर 3 भी प्रस्तावित रास्ते से छोटा बताया गया है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग जवाबकर्ता की भूमि को खण्डित करता है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अनुतोष अनुसार रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 2 को कोई आपत्ति नही है।

तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि तहसीलदार नसीराबाद ने प्रकरण में तीन रास्ते बताये है अतः प्रकरण के न्यायिक निस्तारण हेतु न्यायालय स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर उभयपक्ष की उपस्थिति में न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण किया गया तथा मौका पर्चा तैयार किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया। ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 596 रकबा 0.13, 597 रकबा 0.01, 598 रकबा 0.02, 599 रकबा 0.04, 639 रकबा 0.01 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है तथा खसरा नम्बर 4271/0.45, 546/6554 रकबा 1.34, 641 रकबा 0.25 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व 640/0.15 अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी आराजी है। प्रार्थीगण का कथन है कि उनकी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु मौके व रेकार्ड में कोई रास्ता नही होने से उन्हे चाहा गया मार्ग उपलब्ध कराया जावे। तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण की आराजी पर आवागमन हेतु 3 मार्ग दिखाये गये है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग रास्ता नम्बर 1 के रूप में अंकित है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम उनकी खातेदारी अलग–अलग खातें में दर्ज है। प्रार्थीगण ने उक्त आराजी पर आवागमन हेतु सम्मिलित रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 596 रकबा 0.13, 597 रकबा 0.01, 598 रकबा 0.02, 599 [illegible] 0.04, 639 रकबा 0.01 की आराजी जो प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है का कुल [illegible] है0 है। तथा उक्त खातेदारी भूमि पर आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 4271/0.45, 546/6554 रकबा 1.34, 641 रकबा 0.25 में से प्रस्तावित रास्ते का रकबा 0.4698 है0 [illegible] प्रार्थीगण की खातेदारी का कुल रकबा चाहे मार्ग के रकबे से भी काफी कम है। जि[illegible] स्पष्ट है कि उक्त मार्ग प्रार्थीगण को दिये जाने से अप्रार्थी संख्या 1 की काफी भूमि खराब होगी। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:39:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

दीर्घतम है। जबकि मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता नम्बर 2 व 3 छोटा, सुलभ व आसान है। अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 28.12.2021 को एक परिवाद अन्तर्गत धारा 427, 447 448 भा.द.स. अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्व पेश किया था जिसमे अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 546/6554 की उत्तरी दिशा में खेतो में पत्थर डालने व व्यवधान कारित करने का संस्थित करवाया था जिस पर पुलिस थाना श्रीनगर ने यह अवरोध हटाकर अप्रार्थी संख्या 1 के खेतों को विमुक्त कराया था। इस का कोई खण्डन प्रार्थीगण अथवा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा नही किया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा किये गये मौका निरीक्षण में भी यह पाया गया कि प्रार्थीगणों द्वारा वाछित रास्ता दीर्घतम है जबकि अनेवडी मार्ग से प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि तक रास्ते की मांग कर सकते है जो कि लघुत्तम है। मौके पर प्रार्थीगणों ने यह भी अवगत कराया कि वांछित रास्ते का प्रयोग प्रार्थीगणों द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है एवं यह रास्ता उनके गांव तिहारी से सीधा और सुलभ है। बनेवडी रोड से प्रार्थीगण के खेत तक जाने हेतु रास्ता लम्बा पडेगा जो उनके लिये सुविधाजनक नही है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु लघुत्तम रेकार्डेड मार्ग उपलब्ध कराने की है चाहे वह सुलभ– सुविधाजनक हो या नही। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण अपनी सुविधा व सुलभता हेतु अपनी कृषि जोत तक जाने के लिये दीर्घतम रिकार्डेड रास्ते की मांग कर रहे है जो न्यायोचित नही है। अतः प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:39:39 IST
Reason: SelfAttested